बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या–08 / नीति(विविध अधि0 / नियम संसूचन)–07–17 / 2026– (8) / रा0, पटना–15, दिनांक–

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) निरसन करने के लिए **"बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन)(निरसन) अधिनियम, 2026"** (बिहार अधिनियम 18, 2026), बिहार गजट असाधारण अंक 920, दिनांक–03.08.2026 में प्रकाशित है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक–08 / नीति(विविध अधि0 / नियम संसूचन)–07–17 / 2026– 804 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक– 17/08/26

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल, बिहार के अपर मुख्य सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के सचिव / विद्वान महाधिवक्ता, बिहार / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की दिनांक–08.06.2026 की बैठक के मद संख्या–25 के प्रसंग में गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैंनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर गजट की प्रति आज ही अपलोड करेगें।

(मोना झा),
उप निदेशक।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 920) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना
3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–18/2026–6288/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

[बिहार अधिनियम 18, 2026]

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अधिनियम, 2026

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) का निरसन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।–

(1) यह अधिनियम "बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अधिनियम, 2026" कहा जा सकेगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. निरसन एवं व्यावृति।–

(1) बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अधीन किया गया या की गयी समझा या समझी जाएंगी और बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के निरसन के चलते किये गए कुछ भी या की गई किसी कार्रवाई की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अध्यादेश, 2026 (बिहार अध्यादेश 04, 2026) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव ।

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–18/2026–6289/लेज––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2026 को अनुमत **बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अधिनियम, 2026** (बिहार अधिनियम 18, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव ।

[Bihar Act 18, 2026]

Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (Repeal) ACT, 2026

AN

ACT

to repeal the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (as amended from time to time).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy seventh year of the Republic of India as follows: -

1. *Short title and commencement.—*

(1) This Act may be called the "Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (Repeal) Act, 2026".

(2) It shall come into force the date of publication in the Official Gazette.

2. *Repeal and Saving.—*

(1) Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) is hereby repealed.

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to be done under the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 and validity of anything done or any action taken shall not be questioned due repeal of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010.

(2) Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (Repeal) Ordinance, 2026 (Bihar Ordinance No.- 04, 2026) is hereby repealed

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the power conferred by or under this Act as if this Act were in force on the days on which such thing was done or action taken.

BASNO SHANKER MEHROTRA,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 920-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in